

51

झारखण्ड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग

आ०आ०स-०४ / यो०बजट-६८ / २०१५- ५६ / आ०

व०प० राँची, दिनांक :- १७.०६.२०१५

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,
 सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यान्वित की जानेवाली “लघु वन पदार्थ का उन्नयन” योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) अन्तर्गत संयुक्त वन प्रबंधन समिति के उत्कृष्ट कार्य हेतु पारितोषिक वितरण की योजना के लिए कुल 152.000 लाख (एक करोड़ बावन लाख) रुपये मात्र का आवंटन निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग :-

वन विभागीय पत्रांक 4 / यो०बजट-६८ / २०१५-१७ / स्वी० व०प० दिनांक—16.06.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यान्वित की जानेवाली “लघु वन पदार्थ का उन्नयन” योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) अन्तर्गत संयुक्त वन प्रबंधन समिति के उत्कृष्ट कार्य हेतु पारितोषिक वितरण की योजना के लिए कुल 152.000 लाख (एक करोड़ बावन लाख) रुपये मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. तदनुसार उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निम्न वर्णित लघुशीर्ष अंतर्गत/ इकाईवार कुल 152.000 लाख (एक करोड़ बावन लाख) रुपये मात्र की राशि आवंटित की जाती है :-

(राशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	योजना का नाम	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	बजटीय उपबंध	वित्तीय वर्ष 2015-16 में अबतक आवंटित राशि	स्वीकृत राशि	वर्तमान आवंटित राशि
1	“लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना”	मजदूरी	19P240601796090103	225.400	101.592	110.600	110.600
		आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601796090323	723.280	316.646	36.650	36.650
		प्रशिक्षण व्यय	19P240601796090335	14.700	3.500	4.750	4.750
कुल राशि				993.380	421.738	152.000	152.000

ऑन-लाइन आवंटन की प्रति संलग्न है।


11 12 13 14 15 16

- 50
3. प्रासंगिक व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यान्वित की जानेवाली 'लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना' बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-09-लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना के अंतर्गत संबंधित इकाई में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
 4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा इस योजनांतर्गत राशि का उप आवंटन आवंटित राशि के अन्तर्गत ही सीमित रखा जायेगा।
 5. वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी-पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
 6. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय कोषागार संहिता के नियम सं0-300 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।
 7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
 8. स्वीकृत्यादेश में निहित समस्त दिशा-निर्देशों का सममय अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जायेगा।
 9. इस राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-301 दिनांक--11.03.2015 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

विश्वासभाजन,

अनु०-यथोक्त।

17/6


 (अरुण कुमार सिंह)
 17.6.15
 सरकार के प्रधान सचिव।



35

आवंटन आदेश

ज्ञारखेड़ सरकार

FOREST & ENVIRONMENT DEPARTMENT

वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

संख्या - 4/YB- 68/2015/46A

दिनांक -

17/June

संक्र.	विपत्र कोड	एकसेस नं।	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
P 19	240601796090103	43516	DRNFWL056	11,060,000.00
2406 .	वानिकी तथा वन्य जीवन			
01 .	वानिकी		SHRI.Y.K.SINGH	रुपये एक करोड़ दस लाख साहने
796 .	जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना		CHAUHAN IFS	हजार
09 .	लघु वन पदार्थों का उन्नयन		ADDI.PCCF DEV.JHAR	
01 .	वैतन एवं शो		KHAND RANCHI	
03 .	मजदूरी			
P 19	240601796090323	43516	DRNFWL056	3,665,000.00
2406 .	वानिकी तथा वन्य जीवन			
01 .	वानिकी		SHRI.Y.K.SINGH	रुपये छत्तीस लाख पैसठ हजार
796 .	जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना		CHAUHAN IFS	
09 .	लघु वन पदार्थों का उन्नयन		ADDI.PCCF DEV.JHAR	
03 .	प्रशासनिक व्यय		KHAND RANCHI	
23 .	आपूर्ति एवं सामग्री			
P 19	240601796090335	43516	DRNFWL056	475,000.00
2406 .	वानिकी तथा वन्य जीवन			
01 .	वानिकी		SHRI.Y.K.SINGH	रुपये चार लाख पचास हजार
796 .	जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना		CHAUHAN IFS	
09 .	लघु वन पदार्थों का उन्नयन		ADDI.PCCF DEV.JHAR	
03 .	प्रशासनिक व्यय		KHAND RANCHI	
35 .	प्रशिक्षण व्यय			
				15,200,000.00

ग्र:

निम्न योग:

रुपये एक करोड़ बावन लाख

PRINCIPAL SECRETARY

(ARUN KUMAR SINGH) 17.6.15